राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2012–2013

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

E-mail : raj. rajyamahilaaaayog@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	3–13
अध्याय – 2	आयोग का कार्यक्षेत्र	14–18
अध्याय – 3	वर्ष 2012–13 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	19
अध्याय – 4	आयोग का वित्तीय स्वरूप	20–21
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	22–26
अध्याय – 6	राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा	27
अध्याय – 7	महिला हैल्पलाइन	28
अध्याय–8	कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं भ्रमण कार्यक्रमों का विवरण	29–38
अध्याय–9	प्रसंज्ञान एवं जांच	39–46
अध्याय–10	राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं	45–46

अध्याय – 1 – संगठन व शक्तियाँ

I. राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

II. आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/मबावि/60456 दिनांक 19.11.2011 तथा एफ.1(295) रामआ/मअ/99/6675 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार वर्तमान में आयोग की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद	पद ग्रहण करने की तिथि
प्रो. लाडकुमारी जैन	अध्यक्ष	24.11.2011
श्रीमती रूपा तिवाडी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया	सदस्य	24.02.2012

III. आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण (दिनांक 31.03.2013)

(अ) अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
निजी सचिव	1	1	0
वरिष्ठ निजी सहायक	1	—	1
कनिष्ठ लिपिक	1	1	—
निजी सहायक	1		1
योग :—	4	2	2

(ब) सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सदस्य सचिव	1	1	0
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	1	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1
योग :—	4	3	1

(स) पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
रजिस्ट्रार	1	1	—
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	—	1
लेखाकार	1	1	—
वरिष्ठ लिपिक	2	—	2
कनिष्ठ लिपिक	7	7	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	9	—
योग :—	21	18	3

(द) उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
उप–सचिव	1	–	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	–	1
योग :–	2	–	2

IV. आयोग की शक्तियाँ

राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार की महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं (10, 11, 12, 13) के अनुसार राज्य महिला आयोग को प्रदत्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है :–

10 हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियां

10(1) :– आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :–

10(1)(क) :– किसी भी साक्षी को सम्मन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना ।

10(1)(ख) :– किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना।

10(1)(ग) :– शपथ–पत्रों पर साक्ष्य लेना।

10(1)(घ) :–किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

10(1)(ड़) :– साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, सम्मन जारी करना।

10(2) :– आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थित में किया जाात है, तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार

अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिंता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।

10(3) :– आयोग के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

11. :– आयोग के कृत्य

(1) आयेाग निम्नलिखित सभी या किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(प) किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना।

(पप) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यकों का या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवाद्यकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट तैयार करना।

(पपप) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना :–

(क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताऐं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय।

(ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना।

(ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना।

(iv) (क) किसी भी कारगार, पुलिस थाने, हवालातों, उप–जेलो, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्धारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्धारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना।

(ख) ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा।

(अ) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगेअ और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेग या लागू करवायेगा।

(vii) महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो।

(viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकडों का व्यापक अधिकोष संधारित करना, के समर्थन की कार्रवाइयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकडों को उपलब्ध करना।

(पग) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह–विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना।

(ग) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे कि उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके।

(xi) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना।

(xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करे वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

(xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(xiv) संवर्धन और शिक्षा संबधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कडी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना।

(xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(गअप) अन्य कोई मामला, जो उस सरकार, आम जनता, प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझें।

12. अनुचित व्यवहारों की जांच करना– (1) आयोग,–

(क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुऐ कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर।

(ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर।

(ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर।

किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

(2) जहां परिवाद उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।

(3) (प) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरू किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता हैं वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले मे कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां आयोग राज्य–सरकार को उस मामले में कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।

(4) राज्य सरकार, उप–धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

13. अभियोजन का प्रारंभ– यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध, अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

V. आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और ऐसे किसी भी मामले पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक था महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक आस्थगित नही किया जाना चाहिये, विशेष रिपोर्ट किसी भी समय प्रस्तुत की सकेगा। धारा 14(2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को आयोग की

सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्रवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों यदि कोई हो के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधानमण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करवायेगी।

VI. राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

अध्याय 2 – आयोग के कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में (डाक द्वारा, फैक्स या ई–मेल द्वारा) प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया हो, लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करवाना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही को निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न से बचाव हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन् 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद में दिए गए निर्णय एवं दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना, शिकायत समितियों के गठन, उनकी नियमित बैठक व कार्यवाहियों पर निगरानी रखना तथा गम्भीर मामलों में घटना स्थल पर जाकर जांच करना।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपसी बातचीत व समझाइश द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है।

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु सम्पादित की जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली अग्र प्रकार है।

2.1 जैण्डर प्रकोष्ठ :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से जैण्डर प्रकोष्ठ का संचालन किया जाता रहा है। इस इकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग द्वारा लैंगिक समानता, अधिकार के साथ सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर कार्य किये गये। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि कार्य प्रमुख है। यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है क्योंकि ऐसी उत्पीडित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर उन महिलाओं की स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित करता है और यथा–सम्भव उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

2.2 जनसुनवाई

उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (प) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ राजस्थान, सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी रहती है।

जिला स्तर पर जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग के जयपुर स्थित कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र की निर्धारित आयोजक संस्था (स्वयंसेवी संगठन अथवा जिला महिला विकास अभिकरण) द्वारा जनसुनवाई के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा जनसुनवाई वाले दिन पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणों की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भिक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के भी प्रयास किये जाते है। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2012–13 में आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में जनसुनवाइयों का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	जिले का नाम	जनसुनवाई दिनांक	कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	शेष
1.	विराटनगर, जयपुर	27.07.2012	10	6	4
2.	बीकानेर संभाग	26.10.2012	81	15	66
3.	जयपुर संभाग	31.10.2012	130	39	91
4.	भरतपुर संभाग	03.12.2012	24	–	24
5.	करौली	11.03.2013	41	–	41
6.	सवाईमाधोपुर	12.03.2013	92	–	92
7.	जालौर	18.03.2013	76	–	76
8.	सिरोही	19.03.2013	67	–	67

उपरोक्तानुसार अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुन्झुनूं, करौली, सिरोही, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर जिलों में जनसुनवाइयों का आयोजन किया जा चुका है।

2.3 व्यक्तिगत सुनवाई

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई व समझाइश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीडन, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाइश के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीडित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है।

2.4 आयोग को प्राप्त लिखित शिकायतों पर कार्यवाही :–

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।

अध्याय – 3 आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2012–13 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों के आकड़ें निम्न प्रकार हैं।

आयोग स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2013 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
18806	13515	5291

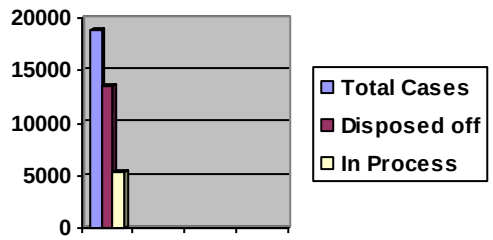

01.04.2011 से 31.03.2012 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
2301	1224	1077

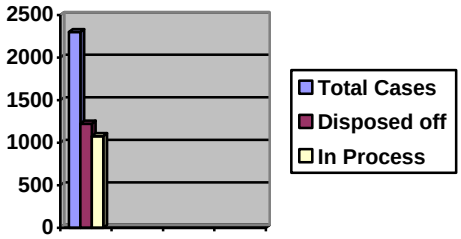

दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
2117	863	1254

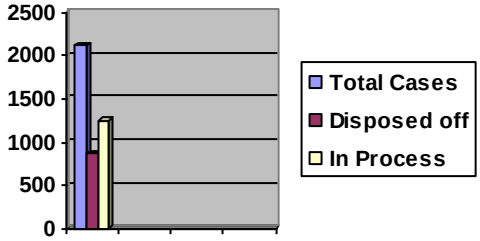

अध्याय – 4 आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। आयोग में स्थापित जेण्डर प्रकोष्ठ के खर्चे हेतु यूनिसेफ द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि उपलब्ध करवायी गई। वर्ष 2012–2013 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

राशि जहां से प्राप्त हुई	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि
राज्य सरकार से प्राप्त राशि तथा प्रारम्भिक शेष	1,49,50,000.00 47,67,345.07	1,53,21,026.00
यूनिसेफ से प्राप्त राशि तथा प्रारम्भिक शेष (01.04.2011 को)	3,64,011.00 1,34,940.00	4,90,404.00

Income & Expenditure Statement
for the Year 2012-2013

	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	5250063.05		
	(i) At Donation A/c 62252.98		1.Commission Expenditure	15321026.00
	(ii) NCW - 11,795.00		2.Unicef Expenditure	490404.00
	(iii)Unicef- 134940.00		3. NRHM	15436.00
	(iv) N.R.H.M. 273730.00			
	482717.98			
	(v) Commission :-			
	P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 1047079.00			
	P.D.A/c No.122 - 2830768.00			
	Cash at Bank 889355.07			
	Cash in Hand 143.00			
	4767345.07			
2.	**Receipt**		3. **Closing Balance**	
	(i) State Government	14950000.00		
	(ii) Unicef	364011.00	(i)Unicef 8547.00	4785042.07
	(iii) NRHM	Nil	(ii) NRHM 258294.00	
			(iii) NCW 11,795.00	
			278636.00	
			(v) Commission :-	
			P.D.A/cNo.14-(Emp.fund) 864042.00	
			P.D.A/c No.122 - 2486416.00	
			Cash at Bank 1153630.07	
			Cash in Hand 2318.00	
			4506406.07	
3.	Sale of Raddi	0.00		
4.	Bank interest on SB A/c	35112.00		
5.	Bank int. on Donation Bank A/c	2758.00	At Donation A/c	65010.98
6.	Nakal Charges	4052.00	Help to Needy Women	25000.00
7.	Int. on PD A/c	51085.00		
8.	Sale of Tender Form	1000.00		
9.	Security Deposite	7000.00		
10.	Vehicle Rent	9738.00		
11.	Staff Advance	2100.00		
12.	Donetion A/c	25000.00		
	Total	**20701919.05**	**Total**	**20701919.05**

अध्याय–5

आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग द्वारा वर्ष 2012–2013 में प्राप्त आवेदनों पर उभयपक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरणों के उदाहरण निम्नानुसार है :–

1. शैलेश एक परम्परावादी राजपूत परिवार का बेटा है, जिसे अपनी मर्जी से अपनी महिला मित्र से शादी करने की स्वतन्त्रता नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उसका विवाह एक सजातीय, उच्च शिक्षा प्राप्त नीतू से कर दिया गया। शैलेश अपने माता–पिता का विरोध तो नहीं कर पाया, किन्तु उसने नीतू से दूरियां बनाते हुए अपनी पूर्व मित्र से इस हद तक मित्रता की कि पत्नी नीतू को उसका घर छोड़ना पड़ा। शैलेश का परिवार भी नीतू की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रहा था। नीतू ने महिला आयोग में अपना परिवाद दर्ज करवाया। शैलेश की काउन्सिलिंग की गई, किन्तु वह अपने हठ पर अड़ा रहा। नीतू ने उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में भी भरण–पोषण व अन्य राहत हेतु वाद दायर कर दिया था। इधर महिला आयोग भी निरन्तर शैलेश की गतिविधियों पर नजर बनाये हुए था। शैलेश ने अपनी पत्नी नीतू को स्वदेश (भारत) में ही छोड़कर विदेश में जा कर बसने का मानस बनाया। महिला आयोग ने शैलेश की इस कुटिल चाल को भांपते हुए कार्यवाही की। आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत करवाया गया तथा उड़ान से कुछ घंटे पूर्व ही उसका विदेश भागने का कार्यक्रम निरस्त करवाया। शैलेश को विदेश भागने से रोक कर महिला आयोग ने नीतू की सहायता की। यद्यपि अभी भी दोनों पति–पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं तथा सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित है, तथापि शैलेश को विदेश भागने से रोक कर महिला आयोग ने उसे स्वदेशी कानूनों का सामना करने हेतु बाध्य किया।

2. संगीता ने 8 वर्ष पूर्व परिवार की सहमति से प्रेम विवाह किया था। संगीता के पति, सास, ननद काफी भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए थे जिस कारण संगीता में असुरक्षा की भावना थी। इसी दौरान संगीता ने एक पुत्री को जन्म दिया। संगीता ने एक दिन अपनी बच्ची के साथ अपना ससुराल का घर छोड़

दिया। तीन–चार माह बाद पति उन्हें मना कर घर वापस ले आये। कुछ समय अच्छा निकला फिर वही स्थिति। संगीता को समझ नहीं आ रहा था कि पति का एक मिनट गुस्सा होना, मारना, फिर मनाने लग जाना। उसके बाद संगीता के पति ने फिर मारा तब संगीता महिला आयोग आई। महिला आयोग की मदद से संगीता के ससुराल वालों को पाबंद किया गया। तब संगीता ने ससुराल के घर में ही अलग रहना तय किया लेकिन पति नहीं माने और संगीता अपने पीहर चली गई। लगातार महिला आयोग से सम्पर्क में रही। तब उसे समझ आया कि उसके पति, सास, बहन, बेटी और स्वयं के बीच में एक ब्वउउवद पुरूष है और सभी रिश्ते उनके लिए बहुत संवेदनशील है। इसके कारण पति का भावुक होकर अपनी माता और बहन से बात करना जरूरी है क्योंकि उनके पिता और जीजा दोनों ही नहीं है। संगीता अपनी बेटी के साथ पीहर का घर छोड़कर किराये के मकान में रहने लगी। जहां छः माह बाद पति ने संगीता और बेटी से मिलना शुरू कर दिया। अभी संगीता बहुत खुश है क्योंकि उसके पति उसकी और बेटी की पूरी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। साथ ही बहन और मां की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। किसी को भी असुरक्षा की भावना महसूस नहीं हो रही है। संगीता जहां तक सम्भव होगा तब तक ऐसे ही अलग रहकर पति से सम्पर्क में रहेगी। संगीता ने महसूस किया कि महिला आयोग एक ऐसी जगह है जहां किसी कानूनी कार्यवाही में जाये बिना परिस्थितियों को समझते हुए समाधान करने में मदद मिलती है और सम्बन्धों को मजबूत और मधुर बनाने में मदद मिलती है।

3. मीना के परिवार में दो भाई और एक मीना स्वयं है। तीनों बच्चे माता–पिता के साथ ही रहते है। मीना एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर रही थी। वहीं उसकी किसी लड़के से दोस्ती हो गई जो कि उनकी ही जाति का था। मीना पढ़ने में बहुत होशियार थी और आगे कुछ करना चाहती थी। जब एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर मीना घर आई तो उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। मीना ने विवाह का विरोध किया और आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उसके साथ ही उसने अपने दोस्त के बारे में उन्हें बताया। तब उसके पिता ने उसे घर में बंद कर दिया। दोनों भाईयों ने मारपीट शुरू कर दी। एक दिन मीना की मां उसे गणेश जी मन्दिर लेकर गई वहां से मीना भाग कर महिला आयोग आ गई। मीना के आयोग आने की सूचना उसके पिता को दी गई और उसे शक्ति स्तम्भ रखवाया गया। माता–पिता के साथ हुई मीटिंग में मीना ने आगे पढ़ना

तय किया और माता–पिता का अवांछित हस्तक्षेप उसके जीवन में ना हो इसके लिए उन्हें पाबन्द करवाया। आज मीना ड्यूटी कर रही है। बहुत खुश है। आयोग ने उसे हिम्मत दिलाकर कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। जहां वह रहती है वहां के क्षेत्रीय थाने के नम्बर रखने को कहा। आज समय के साथ मीना के अन्दर का डर खत्म होता जा रहा है और समय–समय पर आयोग से मिले सहयोग से उसमें हिम्मत आ रही है।

4. पूनम ने दिनांक 23.02.2012 को अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। शादी के कुछ समय बाद पूनम ने अपने विवाह के बारे में अपने माता–पिता को बताया। उसके माता–पिता ने विवाह को स्वीकार करते हुए दिनांक 04.08.2012 को फिर शादी करवा दी। उसके बाद पूनम के ससुराल वालों ने विवाह को स्वीकार किया और दिनांक 08.10.2012 को पुनः वैवाहिक रीति रिवाज द्वारा पूनम को ससुराल वाले ससुराल ले गये। बीस दिन बाद पूनम अपने पति के साथ वापस नौकरी करने लगी। उसके बाद पूनम गर्भवती हो गई और दिनांक 26.02.2013 को पति–पत्नी दोनों ने सास के पास उदयपुर रहना तय किया। दोनों पति–पत्नी में आपसी झगड़ा शुरू हो गया। कभी घर की बात को लेकर, कभी सास की किसी बात, कभी खाना, बोलना कोई ना कोई मुद्दा झगड़े का कारण बन ही जाता। पूनम के पति भी सास का साथ देते क्योंकि पूनम के ससुर नहीं है और उसकी सास ने अकेले ही दोनों बच्चों का पालन–पोषण किया। इसी तनाव में पूनम का गर्भपात हो गया और उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें एक वर्ष गर्भधारण के लिए मना कर दिया। पूनम के मानसिक तनाव का बहाना लेकर पूनम के पति पूनम को उसके पीहर छोड़ गये और सभी सम्पर्क खत्म कर लिए। पूनम का मानसिक तनाव और अधिक बढ़ने लगा। पति से सम्पर्क करती तो कोई जवाब नहीं मिलता। पूनम को उसकी दोस्त ने महिला आयोग के बारे में बताया और महिला आयोग की मदद से पति–पत्नी की संयुक्त बैठक में काउंसलिंग की गई। दोनों ने साथ रहना तय किया। सास ने पहले तो बेटे–बहू को घर से बाहर निकाल दिया किन्तु पुनः ससुराल के घर में रख लिया। अब पूनम बहुत खुश हैं। घर बसने के बाद उसने बार–बार महिला आयोग को धन्यवाद दिया।

5. सीमा प्रसव पीड़ा के साथ प्रसव के लिए सभी जगह परेशान होकर घूम रही थी। तब ही किसी ने सीमा को महिला आयोग के बारे में बताया। सीमा के पास

माता–पिता, पीहर, ससुराल किसी का कोई भावनात्मक, आर्थिक सहयोग नहीं था। सीमा प्रसव पीड़ा में महिला आयोग पहुंची। महिला आयोग ने सीमा को जनाना अस्पताल पहुंचाया। वहां उसने दिनांक 12.09.2012 को पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर सीमा को नारी निकेतन भेजा गया। जहां उसकी और उसके बच्चे की देखरेख की गई। जब सीमा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगी तब अपने बच्चे को लेकर नारी निकेतन चली गई और अपने बच्चे का पालन–पोषण स्वयं करने लगी। फिर सीमा ने दिनांक 17.01.2013 को बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए महिला आयोग ने फिर मदद की। आज राजस्थान राज्य महिला आयोग की मदद से सीमा और उसका बच्चा अपनी जिन्दगी जी रहे हैं। सीमा का कहना है कि आयोग ने बिना कोई सवाल किये उसकी मदद की और उसके बच्चे का जन्म हो पाया। यदि आयोग से मदद नहीं मिलती तो समाज के सवाल और लोगों की नजरें उसे जीने नहीं देती। आज वो ठीक है और खुश भी है।

6. ममता की पिछले एक वर्ष से एक पुरूष से दोस्ती थी। दोस्ती के साथ–साथ उनकी मुलाकातें भी होने लगीं। उन्ही मुलाकातों से उसे एक दिन पता चला कि उसका दोस्त शादी शुदा है और उसके बच्चे भी है। तब ममता ने दोस्त से मिलना कम कर दिया और धीरे–धीरे बंद भी कर दिया। ममता के दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ममता को बदनाम करने की धमकी देने लगा। दोनों के कुछ जानकार लोगों को अपने रिश्ते के बारे में बताने लगा। ममता बहुत परेशान रहने लगी। फिर ममता के माता–पिता ने उसकी सगाई कर दी। ममता को डर लगने लगा कि उसका दोस्त उसके होने वाले पति को कुछ कह ना दे। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे ममता की सगाई के बारे में पता लगेगा ही। ममता दोस्त की धमकियों से परेशान होकर आयोग आई। यहां से उसके दोस्त को समझाया गया और चेतावनी भी दी गई कि वह भविष्य में कभी ममता के जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब से ममता राहत में है। लगातार ममता ने महिला आयोग से सम्पर्क रखा और बताया कि अब उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो खुश है।

7. प्रार्थी सुभाष की व्यथा यह थी कि उसने अपनी पत्नी कामिनी को शादी के बाद उच्च शिक्षा दिलवाई। दम्पत्ती के एक पुत्र है लेकिन कामिनी किराए का मकान लेकर अलग रह रही है। सुभाष अपनी पत्नी व बच्चे को अपने

साथ रखना चाहता था। पति पत्नी दोनों को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है। दोनों पति–पत्नी साथ–साथ रह रहे हैं।

8. प्रार्थियां रूबी ने शिकायत की कि उसकी शादी श्याम से हुई थी, जिसके एक दूसरी महिला निर्मला के साथ अवैध संबंध है। पत्नी का कहना था कि पति उसका अथवा बच्चे का भरण–पोषण नहीं करता है। इस पर दोनों पक्षों को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों पति–पत्नी साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। प्रार्थिया ने बतलाया कि उसे अब अपने पति से कोई शिकायत नहीं है।

9. प्रार्थिया सुधा की व्यथा यह थी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडित करते हैं और घर खर्च के लिए पैसे नही देते हैं। साथ ही उसकी गृहस्थी में हस्तक्षेप करते हैं। इस पर दोनों पक्षकारान् को आयोग में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद ससुलाल वालों ने आश्वस्त किया कि वे सुधा व राज की गृहस्थी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अप्रार्थी राज ने भी अपनी पत्नी को साथ रखने का आश्वासन दिया। पुनः फोलोअप के बाद पाया कि दोनों पति–पत्नी साथ–साथ रहने लगे है और उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है। इस तरह इनकी गृहस्थी बस गई।

नोट : उपरोक्त सभी प्रकरणों में दिये गये नाम काल्पनिक है।

अध्याय – 6 राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 08 मार्च, 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई। राज्य महिला नीति की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है। पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के लगभग पौने तीन साल के अन्तराल पश्चात् प्रो. लाडकुमारी जैन की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई तथा 24 नवम्बर, 2011 को उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 06.01.2012 को महिला नीति की समीक्षा हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा महिला संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं व विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वर्तमान राज्य महिला नीति की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया। राज्य महिला नीति की समीक्षा से संबंधित दस्तावेज, कार्यवाही व आंकडें एकत्रित कर नियमित रूप से आगे का कार्य करने हेतु एक कोर कमेटी का गठन किया गया। प्रो. आशा कौशिक को इसका कन्वीनर बनाया गया है।

इस बैठक में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य महिला नीति के संबंध में की गई अब तक की कार्यवाही एवं आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करनी चाही। महिला अधिकारिता विभाग से यह जानकारी मंगवाई जा रही है।

राज्य महिला नीति, 2000 का पुनरावलोकन कर नई महिला नीति बनाने हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाकर नई महिला नीति के लिये प्राप्त विभिन्न सुझावों तथा विषय सामग्री पर विचार–विमर्श किया गया है।

दिनांक	
21.12.2011	12.04.2013
06.01.2012	25.04.2013
08.02.2012	26.04.2013
24.08.2012	30.04.2013
27.02.2013	06.05.2013
15.03.2013	24.05.2013
05.04.2013	

नई महिला नीति का प्रारूप शीघ्र बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

अध्याय–7

महिला हैल्पलाइन

वर्ष 2012–13 के बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा महिला आयोग में महिला हैल्पलाईन की घोषणा के अनुरूप आयोग द्वारा अगस्त 2012 से महिला हैल्पलाईन का संचालन किया जा रहा है।

वित्त विभाग से पूर्व में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार महिला हैल्पलाईन में चार परामर्शदाता (प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से) 24 घन्टे कार्यरत है। उक्त परामर्शदाता पूर्णरूप से प्रशिक्षित है। आयोग द्वारा उनकी योग्यता एम.एस. डब्ल्यू, विधि स्नातक, समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर निर्धारित की गयी थी तथा साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी वांछित था।

अगस्त, 2012 से मार्च, 2013 तक हैल्पलाईन पर कुल 388 प्रकरण दर्ज किये गये। महिला हैल्पलाइन तथा आयोग स्तर से कुल 373 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है शेष 15 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला हैल्पलाइन के लिये टेलीफोन नम्बर 2744000 आवंटित किया हुआ है। टोल फ्री टेलीफोन आवंटित करने हेतु वाछित शुल्क राशि दिनांक 27.06.2012 को बी.एस.एन.एल, जयपुर में जमा करा दी गई है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली के साथ पत्राचार तथा फोन पर भी सम्पर्क किया गया है। जिस पर कार्यवाही की जाकर शीघ्र टोल फ्री नम्बर आवंटित होने की संभावना है।

दिनांक अगस्त, 2012 से मार्च, 2013 तक

Reg. Total Cases	Pending	Disposed Off
388	15	373

अध्याय–8

कार्यशाला, सेमीनार, सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम

(अप्रेल, 2012 से मार्च 2013)

महिला उत्पीड़न के बढ़ते हुये आकड़े इस बात का द्योतक है कि इन्हें रोकने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुऐ आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, योजना आयोग, नई दिल्ली की सदस्या, योजना बोर्ड राजस्थान, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, बुद्धिजीवियों एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशालाऐं/सेमीनार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

26 अप्रैल, 2012 :– डायन प्रतिषेध अधिनियम के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने हेतु सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपति श्री वी.एस. दवे के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उनके दिये गये सुझावों के आधार पर प्रारूप में आवश्यक संशोधन करवाये गये।

09 मई, 2012 – राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा "Human trafficking: Reasons, dimensions & present scenario in Rajasthan & Role of Woman Commission" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

10–11 मई, 2012 – महिला एवं बाल विकास विभाग, आन्ध्रप्रदेश सरकार तथा आई. आर.डी.सी. कनाडा द्वारा हैदराबाद में "Reducing Gender Disparities across States: Opportunities and Challenges" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा पॉवर पॉईन्ट प्रजेंटेन्शन द्वारा सीएसआर की वर्तमान स्थिति तथा जैण्डर गैप कम करने हेतु राज्य द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी दी गयी।

24 मई, 2012 – राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में ^^A meeting with Her Excellency the President of India regarding discussion on women related issues" का आयोजन किया गया जिसमें मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

31 मई, 2012 :– महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु सीकोई–डिकोन, जयपुर (NGO) के तत्वावधान में चाकसू क्षेत्र के पंचायतीराज संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ

बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों को महिला अधिकारों की रक्षा हेतु बने हुए कानूनों की जानकारी दी गयी।

04 जून, 2012 – महामहिम राज्यपाल के साथ ''राज्य महिला आयोग व प्रदेश की महिलाओं'' से संबंधित विषयों पर राजभवन जयपुर में विचार–विमर्श किया गया।

05 जून, 2012 – राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर द्वारा ''मानव अधिकार एवं महिलाएं'' विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में सहभागिता की गई।

12 जून, 2012 – जिला सिरोही स्थित महिला थाना, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, महिला डेस्क के बारे में पुलिस अधीक्षक, सिरोही से विचार–विमर्श किया गया।

21 जून, 2012 :– धारा 498ए, 406, ऑनर कीलिंग, राइट टू च्वॉइस आदि महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया।

21 जून, 2012 – एक्शन एड तथा प्रयत्न संस्था द्वारा जयपुर में महिला अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में मा0 अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की गई।

21 सितम्बर, 2012 – शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति, जयपुर द्वारा आयोजित "Multi stakeholder Consultation on "Declining Child Sex Ration in Rajasthan" कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।

26 सितम्बर, 2012 – आकाशवाणी, जयपुर द्वारा ''महिला आयोग से महिलाओं की अपेक्षा'' विषय पर प्रसारित भेंटवार्ता कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया ने वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किये।

05 अक्टूबर, 2012 – ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम "State level workshop on women miners in Rajasthan" में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।

23 नवम्बर, 2012 – लोहिया महाविद्यालय, चुरू द्वारा नारी उन्नयन विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा किया गया।

03 दिसम्बर, 2012 – राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा National Seminar on "Domestic Violence and Women" का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

03 जनवरी, 2013 – हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्था (ओटीएस), जयपुर में ''महिला सम्मान एवं महिला सुरक्षा'' का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

05 जनवरी, 2013 – गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर द्वारा ''महिला सशक्तिकरण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदया जी द्वारा उद्‌बोधन दिया गया।

07 जनवरी, 2013 :– एम.टी.पी. एक्ट में संशोधन हेतु चिकित्सकों के साथ बैठक का आयोजन 08 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग में इस विषय पर होने वाली बैठक में भाग लेने जाने से पूर्व आयोग कार्यालय में एम.टी.पी. एक्ट में संशोधन हेतु सुझाव पर चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सकों के साथ एक बैठक का आयोजन माननीय अध्यक्ष प्रो. लाडकुमारी जैन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें निम्नांकित संभागियों ने भाग लिया :–

1. श्रीमती रूपा तिवाडी, माननीय सदस्य
2. सुश्री रेखा गुप्ता, सदस्य सचिव
3. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार सह–विशेषाधिकारी
4. डॉ. नीलम रायसिंघानी, निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष
5. डॉ. शशि गुप्ता
6. डॉ. सन्तोष यादव
7. डॉ. राजप्रभा पानगरिया
8. डॉ. नरेन्द्र गुप्ता
9. श्री किसनाराम, ओ.आई.सी., एन.आर.एच.एम.

बैठक में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुये :–

1. सरकार डॉक्टरों के साथ संवाद बनाये, ताकि डॉक्टरों में भय कम हो तथा डॉक्टर्स के जागरूकता कैम्प होने चाहिये।
2. सोनोग्राफी व गर्भपात के संबंध में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर सजा दी जाये, परन्तु छोटे–मोटे मामलों में प्रकरण पुलिस में नहीं जाये।

3. आपातकालीन गर्भपात में आई.डी. की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये एवं गर्भपात के मामले में जनता का मानसिक बदलाव लाने की आवश्यकता है।
4. मेडिकल स्टोरों पर एम.टी.पी. की दवाइयाँ खुले में विक्रय नहीं होनी चाहिये।
5. एम.टी.पी. एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये।

09 जनवरी, 2013 – राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा MTP Act, 1971 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

23 जनवरी, 2013 – कानोडिया कॉलेज, जयपुर द्वारा International Seminar on "Interpreting Feminism vis-a-vis Activism" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

05 फरवरी, 2013 – माथुर लोक प्रशासन संस्था (ओटीएस), जयपुर द्वारा Evaluation Study on Atrocities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

06 फरवरी, 2013 – नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, जयपुर सेन्टर द्वारा जयपुर में National Workshop on 'Gender Budgeting in Rural Development' का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

13 फरवरी, 2013 – राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा आयोजित 3 Days Gender Sensitization Training Programme में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा व्याख्यान दिया गया।

19–20 फरवरी, 2013 – राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में Two day Interstate women commission dialogue का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

04 मार्च, 2013 :– PCPNDT, MTP rFkk Population Policy विषय पर कार्यशाला का आयोजन

राजस्थान राज्य महिला आयोग, प्लान इंडिया तथा शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 04.03.2013 को HCM, RIPA, जयपुर में PCPNDT, MTP rFkk Population Policy विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान प्रचलित कानूनों ने संशोधन करने पर जोर दिया है ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगे तथा एम.टी.पी. की प्रक्रिया

सरल हो सके। साथ ही साथ जनसंख्या नीति में भी आवश्यक संशोधन हो सके। कार्यशाला में 74 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

उक्त कार्यशाला में प्लान इण्डिया की प्रतिनिधि देवजानी खान द्वारा राजस्थान में घटते लिंगानुपात के आंकड़ों सहित स्थिति का आंकलन तथा क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति एवं चुनौती पर विचार व्यक्त किये गये। स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. राजप्रभा पनगडिया द्वारा गर्भसमापन एक्ट के क्रियान्वयन से क्लिनिकल दृष्टि से पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार व्यक्त कर अपने सुझाव दिये। राजीव गांधी पॉपुलेशन मिशन के सदस्य प्रो. देवेन्द्र कोठारी द्वारा जनसंख्या नीति के तहत दो बच्चों के कानून के कारण लिंगानुपात की स्थिति पर सुझाव दिये गये। राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मॉनिटरींग कमेटी पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट की सदस्या एडवोकेट वर्षा देशपाण्डे, डॉ. नीलम सिंह, श्री रोहित ब्राण्डन, निदेशक रीपा जयपुर, डॉ. नीरज के. पवन, डॉ. सरिता सिंह तथा प्रीतमपाल विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा कर सुझाव दिये गये।

उक्त कार्यशाला में तीन समूहों ने निम्नलिखित कानूनों व नीति पर कार्य किया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

1. एमटीपी एक्ट
2. पीसीपीएनडीटी एक्ट
3. जनसंख्या नीति

I. एमटीपी एक्ट पर प्राप्त सुझाव निम्नानुसार है :–

1. एमटीपी एक्ट के अन्तर्गत जिला स्तरीय समितियों का गठन सुनिश्चित करावें।
2. एमटीपी एक्ट के तहत क्लिनिकों का पंजीकरण एवं निगरानी होनी चाहिये।
3. एमटीपी एक्ट के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त मानदण्डों की पालना तथा पर्याप्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
4. एमटीपी का प्रयोग जन्म–नियंत्रण के रूप में न करवाने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनचेतना।
5. ब्लॉक/सी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की महती आवश्यकता है।

II. पीसीपीएनडीटी एक्ट पर निम्न सुझाव प्राप्त हुए :–

1. एक उपसमिति के द्वारा PCPNDT Act के अन्तर्गत 380 लम्बित प्रकरणों की पुर्नसमीक्षा करवायी जावे।
2. IMC की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को सौंपी जानी चाहिये।

3. सोनोग्राफी मशीनों के पंजीकरण की पुर्नसमीक्षा तथा किसी भी प्रकार की इमेजिंग मशीन (डत्प् म्बीवए वेटरनरी अथवा डिफेन्स) का पंजीकरण सुनिश्चित किया जावे। रजिस्ट्रेशन न करवाने की स्थिति में विक्रेता कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

4. जेनेटिक परामर्श केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं का पंजीकरण तथा निगरानी।

5. राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में PCPNDT Act के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग की नियमित व्यवस्था।

6. अपंजीकृत मशीनों को सील किया जाना तथा विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही।

7. जिला स्तरीय सलाह समितियों का गठन राजनैतिक दबावों के अन्तर्गत न किया जावे।

8. परामर्श समितियों में सदस्यों के चयन हेतु मानदण्ड निर्धारित किये जावें।

9. न्यायिक अधिकारियों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के पति संवेदनशीलता में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का आयोजन।

10. सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले गांवों का चिन्हीकरण तथा अवैध गर्भपात करने वाले निजी चिकित्सकों की पहचान करना।

11. गवाहों की सुरक्षा तथा यात्रा भत्ता पुनर्भरण सुनिश्चित करना।

ïïï जनसंख्या नीति पर निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए :

1. दो बच्चों के मानदण्ड में परिवर्तन तथा कन्या जन्म प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार।
2. कन्या जन्म हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार भूमि आवंटन, पदोन्नति, जीवन बीमा पॉलिसी अथवा सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के आवंटन में वरीयता प्रदान करते हुए दिये जा सकते हैं।
3. कन्याओं के अभिभावकों को चुनाव लड़ने में वरीयता दी जानी चाहिये।
4. सार्वजनिक उपक्रमों में कन्याओं के अभिभावकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड तय किये जाने चाहिये।
5. समस्त प्रोत्साहन योजनाओं को कन्याओं के विकास से जोड़ा जाना चाहिये, न कि उनकी विवाह योग्य आयु से।
6. कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जावें।
7. समस्त स्वयं सहायता समूहों/राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)/स्काऊट/गाइड/नेहरू युवा केन्द्रों से जुड़े समूहों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिये जावें।
8. समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या से सम्बन्धित कानूनी चेतना कार्यक्रम आयोजित करवाना।

9. कन्याओं की खरीद फरोख्त को रोकने हेतु पर्याप्त जन चेतना कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रशासनिक नियंत्रण व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

07 मार्च, 2013 – प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा पिंकसिटी प्रेस क्लब सभागार, जयपुर में ''भारतीय समाज मे महिलाओं की स्थिति पर चर्चा'' आयोजित कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया ने अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय अध्यक्ष महोदया, राज्य महिला आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमो में की गई सहभागिता का विवरण

1. 01 मई, 2012 – राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान द्वारा पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर में ''बाल श्रम मुक्त जयपुर अभियान'' का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रो. लाड कुमारी जैन, मा0 अध्यक्ष्य ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की।
2. 05 मई, 2012 – प्रेम मन्दिर संस्थान, जयपुर द्वारा भब्मसमइतंजपदहरूठमपदह ॅवउमद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
3. 09 मई, 2012 – दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, राजस्थान रीजन, जयपुर द्वारा ''बेटी है तो कल है'' का आयोजन किया गया जिसमें मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
4. 16 मई, 2012 – फार्म ऑफ पोपुलेशन एक्शन, जयपुर द्वारा ''राजस्थान विचार मंच'' विषय पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
5. 23 मई, 2012 – नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा संचालित गतिविधियों तथा उनके द्वारा उदयपुर में संचालित अस्पताल का निरीक्षण मा. अध्यक्ष द्वारा किया गया।
6. 13 जून, 2012 – यू.एन.एफ.पी.ए. के प्रतिनिधि श्री सुनील थॉमस के साथ ''महिला मुद्दों पर योजनाएं'' विषय पर चर्चा की गई।
7. 16 जून, 2012 – अकेडमिक स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''ऑनर किलिंग'' विषय पर आयोजित कार्यशाला में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।
8. 01 सितम्बर, 2012 – बियानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर द्वारा "Orientation Programme on Personality Development" कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।

9. 16 सितम्बर, 2012 – जैन जागरूक मंच, जयपुर द्वारा जयपुर में आयोजित ''बेटी बचाओ अभियान'' कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।

10. 07 अक्टूबर, 2012 – अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ, जयपुर द्वारा सूचना केन्द्र जयपुर में आयोजित ''अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार अधिवेशन'' में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

11. 18 अक्टूबर, 2012 – दूदू, जयपुर में आधार योजना के दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

12. 28 अक्टूबर, 2012 – कौशिश संस्था, जयपुर द्वारा आयोजित "Breast cancer Awareness Rally" में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की गई।

13. 04 नवम्बर, 2012 – राजस्थान साहित्य अकादमी एंव मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित लेखिकाओं के प्रांतिय सम्मेलन ''भावनाओं से आगे समता की चुनौती'' के समापन समारोह में मा0 अध्यक्ष महोदया ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।

14. 20 नवम्बर, 2012 – जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम "Strengthening Quality of Maternal and Child Health Services in the State" में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

15. 26 नवम्बर, 2012 – प्रिया संस्था, जयपुर द्वारा ''महिला स्वास्थ्य व लैंगिक समानता हेतु पंचायतों के अनुभव'' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

16. 01 दिसम्बर, 2012 – पीयूसीएल, जयपुर द्वारा "XI PUCL National Convention" का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

17. 08 दिसम्बर, 2012 – राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा नेहरू उद्यान केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम ''21 वीं सदी में मानवाधिकार : चुनौतियॉ एवं सम्भावनाएं'' में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।

18. 10 दिसम्बर, 2012 – राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में ''अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर एक सेमीनार'' का आयोजन किया गया। उक्त सेमीनार में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
19. 22–23 दिसम्बर, 2012 – नेहरू अध्ययन केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा National Symposia on "Human Trafficking: A violation of Human Rights, A Universal Issue" का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
20. 12 फरवरी, 2013 – इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आकाशवाणी जयपुर पर Interactive Radio Councelling Programmes the topics is Women Empowerment कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
21. 24 मार्च, 2013 – विविधा संस्था, अजमेर द्वारा अजमेर में आयोजित होली उत्सव कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई।

अध्याय–9 प्रसंज्ञान एवं जांच

आयोग में सीधे आने वाले केसेज़ के अलावा मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक) द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मामलों में भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013)

1	02.04.2012	''शिशुओं. की अदला–बदली के क्रम में''	दैनिक भास्कर एवं द टाईम्स ऑफ इण्डिया	श्री नरेन्द्र छंगानी अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल 5582–83 दिनांक 02.04.2012 6237–38 दि.30.04.2012
2	03.04.2012	डी.आर.एम. कार्यालय में महिला संतोष शर्मा ने लगाई खुद को आग	राजस्थान पत्रिका दिनांक 03.04.2012 दिनांक 04.04.2012	रेल्वे कार्यालय में व कलक्टर
3	10.04.2012	नर्सिंग होम का निरीक्षण	–	माननीय अध्यक्षा जी व सदस्यगणों ने कोटा नर्सिंग होम का दौरा किया
4	16.04.2012	वृद्धा को डायन बताकर मार डाला	दैनिक नवज्योति दिनांक 16.4.2012	दिनांक 21.04.2012 को बोर्ड ने व्यक्तिश जाकर कलक्टर व एस.पी. को निर्देश दिये
5	23.04.2012	महिलाओं की जगह पुरूष डेपुटेशन	दैनिक भास्कर दिनांक 23.04.2012	प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर पत्र क्रमांक 6105 दि. 24.04.2012
6	23.04.2012	''दहेज प्रताडना में अब तुरन्त गिरफ्तार नहीं''	दैनिक भास्कर दिनांक 23.04.2012	गृह सचिव व ।क्श्र ब्तपउम को पत्र लिखे पत्र संख्या 6290 दि. 2.05.2012
7	28.04.2012	''प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से ज्यादती'' जोधपुर	दैनिक भास्कर दिनांक 28.04.2012	आयोग के सदस्यों की जांच कमेटी गठित की तथा घटनास्थल का दौरा किया गया।
8	11.05.2012	"बेपर्दा हुआ बैठक का बावेडा"		प्रसंज्ञान लिया गया
9	19.06.2012	"पंचायत का कहर लैक्चरर को छोड़ना पड़ा घर" दौसा	राजस्थान पत्रिका 19.06.2012	प्रसंज्ञान लिया गया
10	28.06.2012	ष्क्सपज ॅवउमद ळंदहतंचमक पद न्कंपचनत भ्वेचपजंसष ।रउमत	ज्पउमे व् प्दकपं 28.06.2012	प्रसंज्ञान लिया गया ज़िला पुलिस अधीक्षक अजमेर प.6( )रामआ/2012/10031 दिनांक 14.09.2012
11	20.07.2012	"विमन्दित गृह से युवती की मौत सवालो में उलझा प्रशासन"	दैनिक भास्कर 20.07.2012	आयोग के सदस्यों की जांच कमेटी गठित की तथा घटनास्थल का दौरा किया गया।
12	22.07.2012	"महिला को पेड से बांधकर निर्वस्त्र" ग्राम कालर सला लिम्बा तह. सराडा उदयपुर	दैनिक भास्कर दिनांक 22.07.2012	आयोग के सदस्यों की जांच कमेटी गठित की तथा घटनास्थल का दौरा किया गया। 23.07.2012 ज़िला पुलिस अधीक्षक उदयपुर प.6( )रामआ/2012/9485

				दिनांक 27.08.2012
13	01.08.2012	''किशनगढ़ में दलित महिला के साथ मारपीट''	ई.टी.वी. में प्रकाशित खबर दिनांक 01.08.2012	
14	03.08.2012	भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तह. के इटमारिया गांव में एक विधवा वृद्ध एकल महिला के खिलाफ जाति पंचायत द्वारा जारी फरमान		प्रसंज्ञान लिया गया।
15	03.08.2012	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "जातीय पंचायत का तुगलकी फरमान"	राजस्थान पत्रिका दिनांक 03.08.2012	प्रसंज्ञान लिया गया।
16	17.08.2012	"छात्रा से अभ्रता शिकायत भी नही सुनी" जयपुर।	दैनिक भास्कर 17.08.2012	ज़िला पुलिस अधीक्षक प.6( )रामआ/2012/9199 दिनांक 17.08.2012
17	22.08.2012	हैवानियत की हदें पार, सीकर	दैनिक भास्कर 22.08.2012	प्रसंज्ञान लिया गया।
18	12.09.2012	"अमानीशाह नाले से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई बरसी लाठिया"	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित 12.09.2012	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस आयुक्त प.6( )रामआ/2012/10030 दिनांक 14.09.2012
19	01.11.2012	"युवतियो को मोबाईल न रखने के फरमान''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित 01.11.2012	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर, दौसा प.6( )रामआ/शिकायत /2012/11047 दिनांक 01.11.2012
20	06.11.2012	''डायन बताकर वृद्धा की हत्या'' डूंगरपुर	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित 21.11.2012	प्रसंज्ञान लिया गया। जांच समिति बनाई गई (सदस्य–दमयन्ती बाकोलिया) प.6( )/11128–35 दिनांक 06.11.2012
21	27.11.2012	''भगवन्त ग्रुप के चैयरमेन पर छात्रा से छेड़छाड़ का मुबदमा दर्ज''	पंजाब केसरी मे प्रकाशित 26.11.2012	प्रसंज्ञान लिया गया। जांच समिति बनाई गई (सदस्य–रूपा तिवाड़ी) प.6( )/11794–805 दिनांक 29.11.2012
22	29.11.2012	''डायन का आरोप महिला से मारपीट'' डूंगरपुर	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित 29.11.2012	प्रसंज्ञान लिया गया। जांच समिति बनाई गई (सदस्य–दमयन्ती बाकोलिया, डॉ लता प्रभाकर चौधरी) प.6( )/11813 दिनांक 29.11.2012
23	17.01.2013	''डायन मानकर महिला को पीटा जलाने की कोशिश'' सलूम्बर जिला उदयपुर	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 14.01.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जांच समिति बनाई गई (सदस्य–दमयन्ती बाकोलिया, डॉ लता प्रभाकर चौधरी) क्रमांक 12676–85 दिनांक 17.01.2013
24	07.02.2013	''वनस्थली विद्यापीठ में छात्रा ने की आत्महत्या'' निवाई, टोंक ।	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 22.01.2013	प्रसंज्ञान लिया गया । जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक

				प.6( )रामआ/शिकायत शाखा/2013/13229 दिनांक 07.02.2013
25	15.02.2013	''पॉच अवयस्क लडकियों के बाल विवाह'' जोधपुर	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 15.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित किया गया प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13365 दिनांक 15.02.2013
26	15.02.2013	''फेरे के समय मॉ की गोद में थी तो तू भी मेरी पत्नी'' भरतपुर।	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 15.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13364 दिनांक 15.02.2013
27	15.02.2013	''राजभवन में महिलाओं की कमेटी ही नही'' जयपुर।	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 15.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। मुख्य सचिव, राजभवन, जयपुर प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13369 दिनांक 18.02.2013
28	16.02.2013	"Constable held for rape of mate's daughter" Udaipur	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13519 दिनांक 22.02.2013
29	22.02.2013	" Father held for raping step-daughter for 4 yrs" Bharatpur.	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13518 दिनांक 22.02.2013
30	22.02.2013	''पेंशन चाहिए तो तलाक की डिक्री लाओ'' बूंदी।	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर, बूंदी। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13517 दिनांक 22.02.2013
31.	23.02.2013	''युवती का अपहरण कर सामुहिक दुस्कर्म'' जयपुर।	दैनिक नवज्योती में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13516 दिनांक 23.02.2013
32	25.02.2013	Obscence clips in school Tribal Girls dropped out	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 22.02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलक्टर, अलवर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान/2013/13531–32 दिनांक 25.02.2013

33	25.02.2013	"NGO owner accused of rape" Ajmer.	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 22. 02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/13530 दिनांक 25.02.2013
34	25.02.2013	''विवाहिता सहित किशोरी का अपहरण'' दौसा।	टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में प्रकाशित समाचार दिनांक 22. 02.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/13529 दिनांक 25.02.2013
35	05.03.2013	''युवती से सामुहिक दुष्कर्म'' चिडावा, झुन्झुनू।	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 05.03.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/14052 दिनांक 21.03.2013
36	07.03.2013	''मंगेतर के खिलाफ मामला दर्ज बच्चे की मोत'' नागौर।	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 07.03.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/14051 दिनांक 21.03.2013
37	07.03.2013	''महिला होमगार्ड ने लगाये कमाडेट पर आरोप'' उदयपुर।	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 07.03.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर। प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/14053 दिनांक 21.03.2013

आयोग द्वारा सत्र अप्रेल, 2012 से मार्च, 2013 में 12 प्रकरणों में जांच समितियां गठित की गई, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रकरण का विवरण	जांच कमेटी आदेश सं./दिनांक	जांच कमेटी सदस्य
1	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर ''वृद्ध महिला को डायन बताकर पीट–पीटकर मार डाला'' धरियावाद (प्रतापगढ़)	दिनांक 21.04.2012	1. माननीय अध्यक्ष श्रीमती लाड कुमारी जैन 2.श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी
2	दैनिक भास्कर दिनांक 28.04.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार ''प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से ज्यादती''। जोधपुर	पत्रांक 6409–9 दिनांक 04.05.2012	1. श्रीमती रूपा तिवाडी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया 3. श्रीमती निर्मला देवड़ा 4. श्रीमती उषा चौधरी
3	दैनिक भास्कर में दिनांक 22.07.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार। ग्राम कालर सलालिम्बा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर। ''महिला को पेड़ से बांधकर निर्वस्त्र'' करने के संबंध में। श्रीमती दुर्गा (पीड़िता)	पत्रांक चस्.1.11 दिनांक 23.07.2012	1 श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया 3. श्रीमती उषा, विकल्प संस्थान, उदयपुर
4	दैनिक भास्कर में दिनांक 20.07.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार ''विमंदित गृह से युवती की मौत सवालों में उलझा प्रशासन''। जयपुर।	पत्रांक 8734–92 दिनांक 24.07.2012	1. श्रीमती रूपा तिवाड़ी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया
5	दिनांक 05.10.2012 को विभिन्न अखबारों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में वनस्थली विद्यापीठ, निवाई तथा कथित दुष्कर्म के आरोप हंगामें के समाचार। निवाई	पत्रांक 10433–42 दि. 06.10.2012	1. श्रीमती पवन सुराणा 2. श्रीमती आशा कोशिक 3. श्रीमती रूपा तिवाड़ी 4. श्री महेन्द्र शर्मा
6	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.11.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार ''डायन बताकर वृद्धा की हत्या'' डूंगरपुर।	पत्रांक 11128–35 दिनांक 06.11.2012	1. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया
7	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.11.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार ''डायन का आरोप महिला से मारपीट'' सागवाड़ा, डूंगरपुर।	पत्रांक 11813 दिनांक 29.11.2012	1. श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया
8	दैनिक भास्कर व पंजाब केसरी में दिनांक 26.11.2012 के अंक में प्रकाशित समाचार ''भगवन्त ग्रुप के चैयरमेन पर छात्रा से छेड़छाड़ का मुदकमा दर्ज'' अजमेर।	पत्रांक 11757–65 दिनांक 27.11.2012 संशोधित कार्यालय आदेश 11794–805 दिनांक 29.11.2012	1. डॉ. रेखा गुप्ता 2. श्रीमती रूपा तिवाड़ी
9	दैनिक भास्कर में दिनांक 14.01.2013 के अंक में प्रकाशित समाचार ''डायन मानकर महिला को पीटा, जलाने की कोशिश'' सलूम्बर, जिला उदयपुर।	पत्रांक 12676–85 दिनांक 17.01.2013	1. श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया

10	राजस्थान पत्रिका में दि. 13.01.2013 को प्रकाशित समाचार ''महिला को डायन कहकर प्रताडित करने एवं केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास करने की घटना	सदस्यों द्वारा स्वतः प्रसंज्ञान लिया गया।	1. श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया
11	राजस्थान पत्रिका में दि. 04.02.2013 को प्रकाशित समाचार ''झाडोल में महिला को डायन कहकर पीटा''	सदस्यो द्वारा स्वतः प्रसंज्ञान लिया गया।	1. श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी 2. श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया
12	निम्स विश्व विद्यालय, दिल्ली रोड़, जयपुर।	अध्यक्षा प्रो. लाड़कुमारी जैन एवं रजिस्ट्रार श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आयोग में ही सुनवाई की गई।	श्री महेन्द्र शर्मा को यूनिवर्सिटी से डॉक्युमेट्स लाने हेतु भेजा गया।

- **वर्ष 2012–13 में 28 पीड़ित महिलाओं को नारी निकेतन, शक्ति स्तम्भ, महिला सदन तथा बालिका सदन भेजा गया।**

- **वर्ष 2012–13 में आयोग द्वारा पुलिस की सहायता से 4 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू करवाया गया।**

अध्याय–10 राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंसाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं एवं सुझाव 2012–13

क्र.	अनुशंसा का संक्षिप्त विवरण	किसकों भेजी गई	पंत्राक दिनांक
1.	बारां शहर की तीन मासूम बच्चियों की संदिग्धावस्था में मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं ह्रदय विदारक घटना की थाना कोतवाली, बारां पर दर्ज एफ. आई. आर. नं. 723/2011 दिनांक 14.11.2011 में सीबीआई जांच करवाने बाबत्।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	पत्रांक 5024/5967 दिनांक 12.04.2012
2.	राज्य की आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा के क्रम मे।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5025/5968 दिनांक 18.04.2012
3.	विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में लगाई गई शर्त ''उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 साल से अधिक आयु का न हो'' को हटााने की अभिशंसा।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्मरण पत्र 5027/5969 दिनांक 18.04.2012
4.	धारा 498ए भा.द.स. के अन्तर्गत दर्ज (दहेज प्रताड़ना में अब तुरन्त गिरफ्तारी नहीं) मामलों बाबत।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6410 दिनांक 04.05.2012
5.	समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस. डब्ल्यू.) तथा पी.एच. डी. के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु उच्च स्तरीय राजकीय सामाजिक अध्ययन संस्थान प्रारम्भ करने के संबंध में।	श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	6464 दिनांक 09.05.2012
6.	राजस्थान में बढ़ते महिला अत्याचार एवं हिंसा के मामलों में त्वरित व उचित कार्यवाही हेतु पुलिस को संवेदनशील बनाने हेतु सुझााव।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8723 दिनांक 23.07.2012
7.	जोधपुर शहर में ''प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से ज्यादती'' की जांच हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा गठित 8.समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।	8873 दिनांक 01.08.2012
8.	सीकर में दुष्कर्म पीड़िता को त्वरीत न्याय दिलवाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना बाबत।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,	10128 दिनांक 19.09.2012

		जयपुर।	
9.	महिला आयोग में पदस्थापित सदस्यगण को देय राजकीय सुविधाओं में संशोधन बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	10150 दिनांक 20.09.2012
10.	राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 15.02.2013 में प्रकाशित समाचार ''अब हफ्ते में एक दिन महिलाओ की सुनवाई'' के संबंध में।	श्री अमिताभ राय, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।	13368 दिनांक 15.02.2013
11.	विधवा पेंशन हेतु लगाई गई शर्ते हटाने हेतु बजट 2013–14 मे प्रावधान बाबत्।	श्रीमान अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।	स्मरण पत्र 13681 दिनांक 28.02.2013
12.	महिला थानों संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14130 दिनांक 28.03.2013
13.	थानों में स्थापित महिला डेस्क संबंधी सुझाव।	श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव (गृह), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14131 दिनांक 28.03.2013
14.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन–शोषण की रोकथाम हेतु विशाखा बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में जारी गाइड लाइन्स।	श्री सी.के. मैथ्यू, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	14132 दिनांक 28.03.2013

(Complete)

वर्ष 2012–13 में 28 पीड़ित महिलाओं को नारी निकेतन, शक्ति स्तम्भ, महिला सदन तथा बालिका सदन भेजा गया

क्र.स.	नाम	आयोग द्वारा भेजने की तिथि
1.	नेहा कुमावत	26.03.2012
2.	मोना शर्मा	02.04.2012
3	भगवती	03.04.2012
4	सीमा	19.04.2012
5	मुस्कान	23.04.2012
6	संजना	24.04.2012
7	सोनू अटवाल	15.05.2012
8	पार्वती सूत्रकार	30.05.2012
9	जोनू यादव	19.07.2012
10	हर्षिता दुबे	20.07.2012
11	आरती मीणा	20.07.2012
12	सुशीला चौधरी	09.08.2012
13	रेखा चौहान	09.08.2012
14	आशा बैरवा	09.08.2012
15	गरिमा चौधरी	05.09.2012
16	सरोज	08.09.2012
17	गीता चौधरी	16.10.2012
18	अंतिमा ओझा	26.10.2012
19	निर्मला भारद्वाज	30.10.2012
20	निलम बानो	03.12.2012
21	शिखा सोनी	04.12.2012
22	हिना	14.12.2012
23	केसर	21.12.2012
24	सरोज	24.12.2012
25	सुनीता	29.01.2013
26	संतोष प्रजापत	08.02.2013
27	विनिता रस्तोगी	08.02.2013
28	प्रीति मीणा	26.03.2013

वर्ष 2012–2013

क्र. सं	दिनांक	विषय
1	26.04.2012	डायन प्रतिषेध अधिनियम के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने हेतु सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपति श्री वी.एस. दवे के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उनके दिये गये सुझावों के आधार पर प्रारूप में आवश्यक संशोधन करवाये गये।
2	09.05.2012	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा "Human trafficking: Reasons, dimensions & present scenario in Rajasthan & Role of Woman Commission" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
3	10–11.05. 2012	महिला एवं बाल विकास विभाग, आन्ध्रप्रदेश सरकार तथा आई.आर.डी.सी. कनाडा द्वारा हैदराबाद में "Reducing Gender Disparities across States: Opportunities and Challenges" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा पॉवर पॉईन्ट प्रजेंटेन्शन द्वारा सीएसआर की वर्तमान स्थिति तथा जैण्डर गैप कम करने हेतु राज्य द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी दी गयी।
6	24.05.2012	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। "meeting with Her Excellency the President of India regarding discussion on women related issues" का आयोजन किया गया जिसमें मा. अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
7	31.05.2012	महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु सीकोई–डिकोन, जयपुर (NGO) के तत्वावधान में चाकसू क्षेत्र के पंचायतीराज संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों को महिला अधिकारों की रक्षा हेतु बने हुए कानूनों की जानकारी दी गयी।
8	04.06.2012	महामहिम राज्यपाल के साथ ''राज्य महिला आयोग व प्रदेश की महिलाओं'' से संबंधित विषयों पर राजभवन जयपुर में विचार–विमर्श किया गया।
9	05.06.2012	राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर द्वारा ''मानव अधिकार एवं महिलाएं'' विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में सहभागिता की गई।
10.	12.06.2012	जिला सिरोही स्थित महिला थाना, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, महिला डेस्क के बारे में पुलिस अधीक्षक, सिरोही से विचार–विमर्श किया गया।
11	21.06.2012	धारा 498ए, 406, ऑनर कीलिंग, राइट टू च्वॉइस आदि महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
		एक्शन एड तथा प्रयत्न संस्था द्वारा जयपुर में महिला अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में मा0 अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की गई।
12	21.07.2012	शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति, जयपुर द्वारा आयोजित "Multi stakeholder Consultation on "Declining Child Sex Ration in Rajasthan" कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।
13	26.07.2012	आकाशवाणी, जयपुर द्वारा ''महिला आयोग से महिलाओं की अपेक्षा'' विषय पर प्रसारित भेंटवार्ता कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया ने वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किये।
14	05.08.2012	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम "State level workshop on women miners in Rajasthan" में मा0 अध्यक्ष द्वारा सहभागिता की गई।

15	23.11.2012	लोहिया महाविद्यालय, चुरू द्वारा नारी उन्नयन विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा किया गया।
16	03.12.2012	राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर द्वारा National Seminar on "Domestic Violence and Women" का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
17	03.01.2013	हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्था (ओटीएस), जयपुर में ''महिला सम्मान एवं महिला सुरक्षा'' का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
18	05.01.2013	गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर द्वारा ''महिला सशक्तिकरण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदया जी द्वारा उद्बोधन दिया गया।
19	07.01.2013	**एम.टी.पी. एक्ट में संशोधन हेतु चिकित्सकों के साथ बैठक का आयोजन** 08 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग में इस विषय पर होने वाली बैठक में भाग लेने जाने से पूर्व आयोग कार्यालय में एम.टी.पी. एक्ट में संशोधन हेतु सुझाव पर चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सकों के साथ एक बैठक का आयोजन माननीय अध्यक्ष प्रो. लाडकुमारी जैन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें निम्नांकित संभागियों ने भाग लिया
20	09.01.2013	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा MTP Act, 1971 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
21	23.01.2013	कानोडिया कॉलेज, जयपुर द्वारा International Seminar on "Interpreting Feminism vis-a-vis Activism" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
22	05.02.2013	माथुर लोक प्रशासन संस्था (ओटीएस), जयपुर द्वारा Evaluation Study on Atrocities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women" कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
23	06.02.2013	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, जयपुर सेन्टर द्वारा जयपुर में National Workshop on 'Gender Budgeting in Rural Development' का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
24	13.02.2013	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा आयोजित 3 Days Gender Sensitization Training Programme में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा व्याख्यान दिया गया।
25	19–20.02. 2013	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में Two day Interstate women commission dialogue का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा सहभागिता की गई।
26	04.03.2013	PCPNDT, MTP RFkk Population Policy विषय पर कार्यशाला का आयोजन।
27	07.03.2013	प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा पिंकसिटी प्रेस क्लब सभागार, जयपुर में ''भारतीय समाज मे महिल की स्थिति पर चर्चा'' आयोजित कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष महोदया ने अपने विचार व्यक्त किये।

क्र. स.	जिले का नाम	जनसुनवाई दिनांक	कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	शेष
1.	विराटनगर, जयपुर	27.07.2012	10	6	4
2.	बीकानेर संभाग	26.10.2012	81	15	66
3.	जयपुर संभाग	31.10.2012	130	39	91
4.	भरतपुर संभाग	03.12.2012	24	—	24

5.	करौली	11.03.2013	41	—	41
6.	सवाईमाधोपुर	12.03.2013	92	—	92
7.	जालौर	18.03.2013	76	—	76
8.	सिरोही	19.03.2013	67	—	67